भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3877

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित गावों में व्यय की गई निधि

3877. श्री मोतीलाल वोराः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के दिनांक 01.04.2015 के निर्णय के अनुसार, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि फ्लोराइड एवं आर्सेनिक/भारी धतुओं से प्रभावित ग्रामों पर ही खर्च की जा सकती है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 740 बसावटें, जो अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में हैं, लौह आधिक्य से प्रभावित हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बसावटों, जो लौह आधिक्य से प्रभावित हैं, के लिए अलग से धन आबंटित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) से (घ) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 27 मार्च, 2018 के अनुसार, ग्रामीण पेयजल स्रोतों में अत्यधिक लौह से प्रभावित 728 बसावटें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक ऐसे किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि लौह प्रभावित बसावटें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुझ रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य की इन लौह प्रभावित बसावटों को इस मंत्रालय द्वारा अलग से कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि केन्द्रीय प्रायोजित एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार लाया जा सके। चूंकि, इसमें बड़ी प्रतिबद्ध देयताएं हैं अत: राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत जारी निधियों के उपयोग को चल रही विभिन्न योजनाओं, जो कि वास्तविक पूर्णता के अंतिम चरण पर है, को पूरा किए जाने हेतु उच्च प्राथमिकता दें। तथापि, वे अपनी वास्तविक प्रगति के बावजूद इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं अथवा आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों, खुले में शौच मुक्त घोषित गांवों, जापानी एनसेफलाइटिस/उग्र एनसेफलाइटिस सिंड्रॉम (जेई/एईएस) प्रभावित जिलों और महत्वाकांक्षी जिलों को कवर करने के लिए नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं।

इसके अलावा, चूंकि ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है, अत: छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के संसाधनों से अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से लौह प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे सकती है।